Remington (GAIL) Font

Table of Contents

Paragraph Writing 2

Letter Writing 3

Application Form 4

दहेज हत्या

सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल सही कहा कि विवाह संबंधी विवादों और दहेज हत्या के मामलों में अपराध में लिप्तता की पुष्टि के बिना पति के संबंधियों को नामजद नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को भी यह हिदायत दी कि वे ऐसे मामलों में पति के दूर के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही में सतर्कता बरतें, लेकिन यह कहना कठिन है कि केवल इतने से बात बनेगी और जमीनी हकीकत बदलेगी। यह फैसला एक ऐसे मामले में दिया गया, जिसमें एक महिला ने अपने बच्चे के अपहरण में पति के मामाओं को भी शामिल बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहली नजर में इन मामाओं के खिलाफ मामला नहीं बनता, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि न तो पुलिस ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकी और न ही हैंदराबाद उच्च न्यायालय।

स्पष्ट है कि यदि पुलिस अपना काम सही तरह नहीं करेगी तो फिर वैवाहिक विवादों और दहेज हत्या के मामलों में निर्दोष लोग झूठे आरोप की चपेट में आकर कष्ट उठाते रहेंगे। नीति और न्याय का तकाजा यही कहता है कि किसी भी मामले में किसी को केवल आरोपों के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से दहेज प्रताड़ना के साथ अन्य कई मामलों में ऐसा ही हैं।

पत्नी की प्रताड़ना और दहेज हत्या के मामलों में आम तौर पर पति के साथ उसके उसके मां-बाप, परिवार के अन्य सदस्य और कई बार दूर के रिश्तेदार भी आरोपित बना दिए जाते हैं। हालांकि झूठे आरोपों के आधार पर फंसाए गए ऐसे लोगों को अदालतों से राहत मिल जाती है, लेकिन जब तक ऐसा होता है तब तक वे बदनामी के साथ-साथ अन्य तमाम तरह की परेशानी से दो-चार हो चुके होते हैं। दरअसल इसी कारण दहेज प्रताड़ना संबंधी धारा 498-ए को एक ऐसे कानूनी प्रावधान के तौर पर अधिक जाना जाता है, जिसका जमकर दुरूपयोग होता हैं। आम धारणा है कि यह धारा बदला लेने का हथियार बन गई है। विडंबना यह है कि कुछ समय पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि दहेज विरोधी कानून में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए तो यह बहस छिड़ गई कि महिलाओं के हित वाले एक कानून को कमजोर करने का काम कर दिया गया। बहस आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट उक्त फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तैयार हो गया। बेहतर है कि वह इस बारे में अपना निर्णय यथाशीघ्र दे, ताकि संशय का माहौल दूर हो।

दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं, जिसका दुरूपयोग न होता हो, लेकिन किसी भी कानून को केवल इसलिए कमजोर नहीं किया जाना चाहिए कि उसका दुरूप्रयोग हो रहा है। दरअसल जरूरत कानूनों के दुरूपयोग को रोकने के उपाय करने की है। ये उपाय तब कारगर होंगे जब कानून नीर-क्षीर विवेक से बनेंगे और पुलिस सुधारों पर अमल होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पुलिस में सुधार के लिए कोशिश कर रह हैं, लेकिन उसमें संकीर्ण राजनीति बाधक बन रही है। अगर पुलिस सुधार संबंधी सुप्रीम कोर्ट के एक दशक से अधिक पुराने दिशा-निर्देशों पर सही तरह अमल नहीं हो सका है तो सियासी दलों की संकीर्णता के कारण ही।

फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र

सेवा में,
प्रधानाचार्य जी,
जवाहर पब्लिक स्कूल,
जनकपुरी, दिल्ली-18

विषय: फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मै आपके विद्यालय का कक्षा 10 का छात्र हूँ। मेरे पिताजी अपने छोटे से व्यवसाय द्वारा बड़ी कठिनाई से परिवार का पालन पोषण करते है। बढ़ती महगाई के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। घर में आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। मेरे 4 भाई-बहन विभिन्न स्कूलों में पढ़ रहे है, उनकी पढ़ाई-लिखाई आदि के खर्चे का बोझ पिताजी के सर पर लदा रहता है।

मै अपनी कक्षा का परिश्रमी छात्र हूँ और कक्षा में सदैव प्रथम आता हूँ। खेलकूद में भी मेरी अच्छी रूचि है।

अत: आपसे निवेदन है कि आप मेरी विद्यालय की फीस माफ करने की कृपा करे जिससे मैं अध्ययन कर सकू। मेरे अभिवावक आपके अत्यंत आभारी रहेंगें।

दिनांक:............................

आपका आज्ञाकारी शिष्य,
जय प्रताप
कक्षा 10

Application Form

आवेदन पत्र

नोट: कृप्या स्पष्ट अक्षरों में भरें अथवा टाइप करें।

फोटो
PHOTOGRAPH

१. पूरा नाम (हिंदी में)..
२. पिता का नाम...
३. घर का स्थायी पता...
....
....
टेलीफोन................................ ई-मेल....................................
४. वर्तमान पता..
....
....
५. जाति...................................
६. लिंग: स्त्री / पुरूष..............................
७. वैवाहिक स्थिति: विवाहित / अविवाहित.................................
८. राष्ट्रीयता.............................
९. मातृभाषा.............................
१०. जन्म की तारीख और अगले जन्म-दिन पर आयु..................
११. हिंदी बोलने, लिखने, पढ़ने और समझने की जानकारी और दक्षता

	अच्छा	औसत	मामूली
बोलना			
लिखना			
पढ़ना			
समझना			

१२. शैक्षणिक योग्यताएँ

उत्तीर्ण परीक्षा का नाम	वर्ष	श्रेणी	विषय	कॉलेज / विश्वविद्यालय का नाम
हाईस्कूल				
इंटरमीडिएट				
बी.ए.				
एम.ए.				
अन्य				

१३. कोई अतिरिक्त सूचना जो आप देना चाहते हैं / चाहती हैं.................................

घोषणा

मैं घोषणा करता / करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है उपर्युक्त विवरण सही है। प्रवेश मिलने पर मैं संस्थान के नियमों का पालन करूँगा / करूँगी।

तारीख................. ....
स्थान.................. आवेदक के हस्ताक्षर